बीरबल प्रजापत - श्यामलाल आदि कु.नं. 08/21

	आज्ञा पत्र	
5.5.25	पत्रावली पेश। अपीलांट उप. रेफ. शीट के कारण ... पेशी बाद जाकर दिनांक 18.6.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
4.6.25	वकील अपीलांट के जरिये तलबी प्रार्थना पत्र पर आज अपील पेशी के लिए अपीलार्थी उप. हेतु राजीनामा पेश कर ... 5.6.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	(हस्ताक्षर) Not Identified
5.6.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 08 / 2021

1 बीरबल प्रसाद आयु 40 साल पुत्र श्री रामेश्वरलाल जाति माली निवासी ढाणी बाकली तन डेहरा जोहड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 श्यामलाल पुत्र शिवदीन फौत
1/1 अनोखी देवी पत्नी स्व. श्यामलाल
1/2 मनोज कुमार पुत्र स्व. श्यामलाल
1/3 विनोद कुमार पुत्र स्व. श्यामलाल
1/4 किरण पुत्री स्व. श्यामलाल
1/5 निशा पुत्री स्व. श्यामलाल
1/6 नेहा पुत्री स्व. श्यामलाल
1/7 सपना पुत्री स्व. श्यामलाल
समस्त जाति महाजन निवासीगण जय अम्बे इलेक्ट्रोनिक्स जे.पी. यादव पार्क के सामने नीमकाथाना जिला नीमकाथाना राज.।
2 मनोज पुत्र श्यामलाल जाति महाजन निवासी कपील मण्डी नीमकाथाना जिला सीकर हाल जय अम्बे इलेक्ट्रोनिक्स जे.पी. यादव पार्क के सामने नीमकाथाना जिला सीकर।
3 सुभाष पुत्र शिवदीन जाति महाजन निवासी निवासी कपील मण्डी नीमकाथाना जिला सीकर हाल गणपति इंजिनियरिंग छोगालाल अस्पताल के पास नीमकाथाना जिला सीकर।
4 घीसालाल पुत्र रामोतार जाति महाजन निवासी गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
5 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।
6 उप पंजीयक महोदय नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक
06.12.2017 दावा अनुवानी बीरबल प्रसाद बनाम
श्यामलाल आदि दावा संख्या 267/2016 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर
अपील अ.धारा 223 राज. काश्त. अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री आनन्दी लाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 5/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 267/2016 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/अपीलान्ट बीरबल प्रसाद ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष एक दावा बाबत भूमि खसरा नम्बर 326 रकबा 1.10 हैक्टेयर वाके ग्राम मण्ढोली तहसील नीमकाथाना के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दिनांक 26.08.2016 को प्रस्तुत किया उक्त दावा प्रस्तुत होने के बाद प्रतिवादीगण की तलबी की गई व प्रतिवादीगण दिनांक 19.10.2016 को बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिस पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई और वादी का दावा विभाजन का होने से प्रारम्भिक डिक्री जारी करने का आदेश दिनांक 19.10.2016 को पारित किया गया व प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा इकतरफा कार्यवाही निरस्त करने का आवेदन प्रस्तुत होने पर दिनांक 08.12.2016 को प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश निरस्त किया गया और उसके पश्चात प्रतिवादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ने दिनांक 02.01.2017 को जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसके आधार पर दिनांक 04.01.2017 को तनकीयात कायम की गई व वादी की साक्ष्य ली गई व उसके पश्चात दिनांक 06.12.2017 को पुन विचारण न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने वरवक्त बहस राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया कि बंटवारा प्रस्ताव में अपीलान्ट बीरबल प्रसाद को खसरा नम्बर 326/1 रकबा 0.33 हैक्टेयर भूमि दी गई है व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मनोज को खसरा नम्बर 326/5 रकबा 0.33 हैक्टेयर भूमि दी गई है। परन्तु पक्षकारान अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने यह राजीनामा किया है कि अपीलान्ट बीरबल के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 326/5 रकबा 0.33 हैक्टेयर भूमि रहेगी व उसकी भूमि पर अपीलान्ट काबिज है व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मनोज के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 326/1 रकबा 0.33 हैक्टेयर भूमि रहेगी व उसी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 काबिज है व इसी अनुरूप खातेदारी दर्ज करने में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 2 सहमत है व अन्य खातेदार बंटवारा प्रस्ताव के अनुरूप काबिज है। इसी तरह खातेदारी दर्ज करवाने में सहमत है। राजीनामा की मद संख्या 1 के अनुरूप खातेदारी दर्ज करने हेतु पत्रावली विचारण न्यायालय को रिमाण्ड की जाने हेतु सहमत है। प्रकरण रिमांड किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रालवी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने वरवक्त बहस राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया कि बंटवारा प्रस्ताव में अपीलान्ट बीरबल प्रसाद को खसरा नम्बर 326/1 रकबा 0.33 हैक्टेयर भूमि दी गई है व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मनोज को खसरा नम्बर 326/5 रकबा 0.33 हैक्टेयर भूमि दी गई है। परन्तु पक्षकारान अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने यह राजीनामा किया है कि अपीलान्ट बीरबल के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 326/5 रकबा 0.33 हैक्टेयर भूमि रहेगी व उसकी भूमि पर अपीलान्ट काबिज है व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मनोज के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 326/1 रकबा 0.33 हैक्टेयर भूमि रहेगी व उसी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 काबिज है व इसी अनुरूप खातेदारी दर्ज करने में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 2 सहमत है व अन्य खातेदार बंटवारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्ताव के अनुरूप काबिज है। इसी तरह खातेदारी दर्ज करवाने में सहमत है। राजीनामा की मद संख्या 1 के अनुरूप खातेदारी दर्ज करने हेतु पत्रावली विचारण न्यायालय को रिमाण्ड की जाने हेतु सहमत है।

उभयपक्ष के राजीनामें को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि आगामी 15 दिवस में राजीनामें के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.06.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 5/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर